

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸ਼ਂ. 2634] No. 2634] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 26, 2014/पौष 5, 1936

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 26, 2014/PAUSHA 5, 1936

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (क्षेत्रीय कार्यालय मुख्यालय प्रभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2014

का. आ. 3271(अ). - केंद्रीय सरकार, वन (संरक्षण) नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 4क के उपनियम (1) के अनुसरण में; उसमें विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों को करने के लिए, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी जोन, भोपाल में क्षेत्रीय सशक्त समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् यथा क्षेत्रीय सशक्त समिति कहा गया है) गठित करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे, अर्थात्:-

(1)

(i) अध्यक्ष क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम जोन, भोपाल

अध्यक्ष

(ii) मुख्य वनपाल या वनपाल, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी जोन, भोपाल की पंक्ति के

सदस्य

अधिकारियों में से ज्येष्ठतम अधिकारी

(iii) डा. एच. डी. वाला, 13, स्वागत पार्क बंगला, जलसा पार्टी प्लाट के पीछे, आशोपलाव बंगले के समीप (थाल्टे), अहमदाबाद 380059 गुजरात

(ई मेल - hdvala@gmail.com)

अशासकीय सदस्य

अशासकीय सदस्य

(iv) डा. वी. एन. पाण्डे, डी—11 / 5, चार इमली, भोपाल 462016 मध्य प्रदेश

(ई मेल - vnpandey54@gmail.com)

(v) श्री संजय मुखारया, 4 पारिका हाउसिंग सोसाइटी, फेस–1, चूना भट्टी, अशासकीय सदस्य

भोपाल 462043 मध्य प्रदेष (ई मेल – sanjaymukharya@gmail.com)

- (vi) उपवनपाल, क्षेत्रीय कार्यालय, पष्चिमी जोन, भोपाल की पंक्ति के अधिकारियों में से **सदस्य सचिव** ज्येष्ठतम अधिकारी
- 2. इसके नीचे विनिर्दिष्ट राज्यों के नीचे उल्लिखित अधिकारी उनके अपने—अपने राज्यों में वन भूमि के अपयोजन से संबद्ध प्रस्तावों के परीक्षण के लिए क्षेत्रीय सशक्त समिति की बैठक में हाजिर होने के लिए विशेष आमंत्रित के रुप में आमंत्रित किए जाएंगे, अर्थात:-

(क) मध्य प्रदेष सरकार:

- (i) नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, मध्य प्रदेष सरकार;
- (ii) सचिव, राजस्व विभाग, मध्य प्रदेष सरकार;

(ख) गुज्जात सरकार:

- (i) नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, गुजरात सरकार;
- (ii) रांयुक्त सचिव (भूमि), राजस्व विभाग, गुजरात सरकार;
- (ग) दादरा और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन:
 - (i) नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन; दादरा और नागर हवेली;
 - (ii) सचिव, राजस्व विभाग, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, दादरा और नागर हवेली;
- (घ) दमन और द्वीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन:
 - (i) नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन; दमन और द्वीव;
 - (ii) सचिव, राजस्व विभाग, संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन, दमन और द्वीव;
- अशासकीय सदस्यों के नियुक्ति की निबंधनें और वर्त उक्त नियम के नियम 4 में यथाविनिर्दिष्ट होगी।

[फा. सं. 6-19/2014-आरओएचक्यू] डा. एस.एस. नेगी, अति. वन महानिदेशक (एफ सी)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(Regional Offices Headquarters Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th December, 2014

S.O. 3271 (E).- In pursuance of sub-rule (1) of rule 4A of the Forest (Conservation) Rules, 2003 (hereinafter referred to as the said rules), the Central Government hereby constitutes the Regional Empowered Committee at Regional Office, Western Zone, Bhopal (hereinafter referred to as the Regional Empowered Committee) to exercise the powers and perform the functions specified therein, comprising of the following Members, namely:—

Head of the Regional Office, Western Zone, Bhopal Chairperson (i) Senior most officer from amongst officers in the rank of Chief Conservator Member (ii) of Forests or Conservator of Forests in the Regional Office, Western Zone, Bhopal Non-official Dr. H. D. Vala, (iii) Member 13, Swagat Park Bunglows, Behind Jalsa Party Plot, Near Ashopalav Bungalows (Thalte) Ahmedabad 380059 Gujarat (E-mail- hdvala@gmail.com) Non-official Dr. V.N. Pandey, (iv) Member D-11/5, Char Imli, Bhopal 462016 Madhya Pradesh (E-mail- vnpandey54@gmail.com) Non-official Shri Sanjay Mukharya, (v) Member 4 Parika Housing Society, Phase-I, Chuna Bhatti, Bhopal 462043 Madhya Pradesh (E-mail- sanjaymukharya@gmail.com) Senior most officer from amongst officers in the rank of Deputy Conservator Member-(vi) Secretary

2. The officers mentioned below of the States specified hereunder, shall be invited to attend meetings of the Regional Empowered Committee as special invitees, in the examination of the proposals pertaining to the diversion of forest land in their respective States, namely:-

Government of Madhya Pradesh:

- Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, Government of Madhya Pradesh;
- Secretary, Revenue Department, Government of Madhya Pradesh;

of Forests in the Regional Office, Western Zone, Bhopal

Government of Gujarat: (B)

- Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, Government of Gujarat;
- Joint Secretary (Land), Revenue Department, Government of Gujarat; (ii)

Union Territory Administration of Dadra and Nagar Haveli: (C)

- Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, Union Territory Administration of Dadra and Nagar Haveli;
- Secretary, Revenue Department, Union Territory of Dadra and Nagar Haveli;

Union Territory Administration of Daman and Diu: (D)

- Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, Union Territory Administration of Daman (i) and Diu;
- Secretary, Revenue Department, Union Territory of Daman and Diu.
- 3. The terms and conditions of appointment of non-official members shall be as specified in rule 4 of the said rules.

[F. No. 6-19/2014- RoHQ] Dr. S. S. NEGI, Addl. Director General of Forests (FC)